प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिवेदन पटवारी हल्का : श्रीमाधोपुर

श्रीमान जी
मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम नावलई में खाता सं. 88 में प्रार्थी का नाम रामूराम पुत्र छोटूराम दर्ज रिकॉर्ड है जबकि अन्य दस्तावेज तथा आधार कार्ड व रिपोर्ट सरपंच के आधार पर प्रार्थी का नाम रामलाल पुत्र छोटूराम दर्ज है। अतः प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी

जाँच प्रतिवेदन भू- अभिलेख निरीक्षक वृत्त - मंडावा

श्रीमान्जी,
रिपोर्ट पटवारी एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर रामूराम पुत्र छोटूराम के स्थान पर रामलाल पुत्र छोटूराम किया जाना प्रस्तावित है।

LR-35
30/05/23

हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक

जाँच प्रतिवेदन तहसीलदार (भू- अभिलेख), श्रीमाधोपुर

श्रीमान्जी
मुताबिक रिपोर्ट पटवार हल्का एवं भू-अभिलेख जाँच के ग्राम नावलई के खाता सं.-88 में खातेदार का नाम रामूराम पुत्र छोटूराम अशुद्ध दर्ज है। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर खातेदार का नाम रामलाल पुत्र छोटूराम दुरुस्त किया जाना उचित है।

तहसीलदार (भू.अ.)
हस्ताक्षर तहसीलदार
श्रीमाधोपुर

आदेश (शिविर स्थान - [illegible])

मुताबिक पटवारी, भू.अ.नि. रिपोर्ट [illegible] एवं तहसीलदार की आख्या के अनुसार नावलई [illegible] रामूराम पुत्र छोटूराम के स्थान पर रामलाल पुत्र छोटूराम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है।

शिविर प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2023
उपखण्ड अधिकारी- श्रीमाधोपुर
पंचायत समिति- श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.13 10:28:04 IST
Reason: SelfAttested